प्रेस विज्ञप्ति
18.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने 4/4/2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आरोपी व्यक्तियों अर्थात मोहम्मद अकबर भट, श्रीमती फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट, काजी यासिर, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, सबजार अहमद शेख, मंजूर अहमद शाह, मोहम्मद इकबाल मीर और सैयद खालिद गिलानी उर्फ खालिद अंद्राबी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 18/4/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है और क़ाज़ी यासिर, अल्ताफ अहमद भट और मंज़ूर अहमद शाह को छोड़कर सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

ईडी ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्ति प्रति छात्र 10-15 लाख रुपये की मोटी रकम लेकर पाकिस्तान के विभिन्न कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के निवासियों के प्रवेश की व्यवस्था करने के लिए कुछ शैक्षिक परामर्शदाताओं के साथ मिले हुए थे। ईडी की जांच में आगे पता चला कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा छात्रों/छात्रों के अभिभावकों से उनके व्यक्तिगत खातों और अल-जबर ट्रस्ट के बैंक खातों में धन प्राप्त किया जा रहा था, जो छात्रों/अभिभावकों से दान की आड़ में धन प्राप्त करने के लिए अग्रणी इकाई थी। यह भी पता चला है कि अल-जबर ट्रस्ट में प्राप्त राशि का उपयोग अंततः पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों जैसे जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाज़ आतंकवादियों को धन वितरित करने आदि के लिए किया गया था। ईडी की जांच में आगे पता चला कि आरोपी मोहम्मद अब्दुल्ला शाह ने मंजूर अहमद शाह की संपत्ति बेच दी थी, जो वर्तमान में पीओके में है और बिक्री आय का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों, पथराव आदि के लिए किया था।

इससे पहले इस मामले में, ईडी ने 5 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी और मोहम्मद अकबर भट, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, फातिमा शाह और सबज़ार अहमद शेख को भी गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार चारों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।